राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर

<u>एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14863/2016</u>

नारू लाल मेघवाल पुत्र श्री मोदीराम मेघवाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम गोदाना, पोस्ट गोगला, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. जिला कलक्टर (भू-अभिलेख), उदयपुर।

----प्रतिवादीगण

सम्बद्ध मामलों के साथ-साथ

(1) एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 13959/2018

(दुर्गाराम पालीवाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य)

(2) एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 16325/2021

(डॉ. मोहम्मद इम्तियाज बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य)

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:

श्री सुशील सोलंकी, श्री नरपत सिंह, श्री भरत देवासी एवं डॉ. हरीश पुरोहित एवं उनकी सहायक सुश्री वृंदा भारद्वाज।

प्रतिवादी(गण) के लिए:

श्री एस.एस. लादरेचा, एएजी, उनके सहायक श्री डी.एस. पिडियार, श्री मुकेश दवे, एजीसी, उनके सहायक श्री तनुज जैन और श्री विवेक शर्मा।

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान अरुण मोंगा

आदेश

27/03/2025

1. आपराधिक अपराधों में अभिकथित रूप से संलिप्त किसी सरकारी कर्मचारी का निलंबन कानूनी तौर पर एक निवारक उपाय माना जाता है, ना कि दांडिक। यह जनहित की रक्षा और अभियोजन के अनुक्रम पर अनुचित प्रभाव को रोकने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। इसी प्रकार, आपराधिक न्यायशास्त्र के अंतर्गत, किसी संदिग्ध व्यक्ति को विचारण से पूर्व या विचारण के अधीन निरुद्ध रखना एक निवारक कार्रवाई है, ना कि दंडात्मक। हम यहाँ पहले वाले मामले से संबंधित हैं।

1.1[1]. हालांकि निलंबन, निस्संदेह, सरकारी सेवाओं में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, इसे सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यावहारिक रूप से निलंबन को तिरस्कार के साथ देखा जाता है। यह एक सरकारी कर्मचारी की सार्वजनिक छवि को धूमिल करता है और गंभीर रूप से भयावह प्रभावों के साथ कलंक

का कारण बनता है। भले ही बाद में व्यक्ति को गलत काम करने से मुक्त कर दिया जाए, नकारात्मक धारणा पूरी तरह से गायब नहीं हो सकती है। इस प्रकार, जब इस तरह का निलंबन लंबा चलता है, तो यह प्रभावी रूप से दंडात्मक प्रकृति का हो जाता है, खासकर जब व्यक्ति को बाद में दोषमुक्त कर दिया जाता है। निर्दोष पाए जाने के बावजूद, इसके परिणामस्वरूप अपरिवर्तनीय नागरिक और प्रतिष्ठा संबंधी क्षति होती है। वास्तविकता कठोर है: कानूनी आशय के बावजूद, निलंबन को समाज द्वारा व्यापक रूप से दोषिता के सूचक के रूप में माना जाता है, जिससे व्यक्ति की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को प्रायः अपूरणीय क्षति पहुँचती है तथा उसके व्यक्तिगत एवं वृत्तिक मनोबल पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. राजस्थान राज्य में सरकारी कर्मचारियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है यथा (क) राज्य सेवाएँ; (ख) अधीनस्थ सेवाएँ; (ग) मंत्रालयिक सेवाएँ और (घ) चतुर्थ श्रेणी सेवाएँ। उपरोक्त तीन याचिकाओं में याचिकाकर्ता अपनी-अपनी सेवाओं के विभिन्न वर्गों से हैं। वे इस न्यायालय के समक्ष, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादीगण द्वारा उनके निलंबन के बाद आगे की कार्यवाही में निष्क्रियता/विलंब का आरोप लगा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर, वे अपने-अपने पदों से निलंबित बने हुए हैं।

3. संक्षिप्तता के लिए, तीनों याचिकाओं का सारांश नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

मामले का नाम	**पद**	**निलंबन का कारण**	**चुनौती के लिए कानूनी आधार**	**निलंबन आदेश (दिनांक)**	**निलंबन की अवधि (27.03.2025 तक)**	**आरोप पत्र की स्थिति**
(एस बी सीडब्ल्यूपी नंबर 14863/2016) नारू लाल मेघवाल बनाम राजस्थान राज्य	पटवारी	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत[एफ आईआर 8.8.2012 को दर्ज की गई थी और अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिए 04.03.2014 को अनुरोध किया गया था, और इसे 22.05.2014 को प्रदान किया गया था, लेकिन अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के आधार पर याचिकाकर्ता	निलंबन आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को एफआईआर दर्ज होने के 4 साल बाद और अभियोजन स्वीकृति मिलने के 2 साल बाद विलंब से निलंबित क्यों किया गया?	27.07.2016	8 वर्ष, 8 महीने	अभी भी निलंबित आरोप-पत्र अक्टूबर, 2014 में दाखिल किया गया, (मुकदमे की स्थिति - अभियोजन साक्ष्य)

		को 27.07.2016 को निलंबित कर दिया गया था।				
दुर्गा राम पालीवाल बनाम राजस्थान राज्य (एस बी सी डब्ल्यू पी संख्या 13959/2018)	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	याचिकाकर्ता को 24.04.2018 को रंगे हाथो पकड़ा गया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराधों के लिए 25.04.2018 को एफआईआर दर्ज करने पर गिरफ्तार किया गया, और 26.04.2018 को जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से अपनी सेवा में शामिल हो गया, 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहा	24.04.2018 को दोपहर 3:45 बजे गिरफ्तार किया गया और 26.04.2018 को दोपहर 12:30 बजे ज़मानत पर रिहा किया गया और उसी दिन दोपहर 1:30 बजे अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया। इस प्रकार, वह 48 घंटे से भी कम समय तक हिरासत में रहा।	27.04.2018	6 वर्ष, 11 महीने	अभी भी निलंबित, 12.07.2019 को आरोप-पत्र दायर

डॉ. मोहम्मद इम्तियाज बनाम राजस्थान राज्य (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 16325/2021)	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमओ)	याचिकाकर्ता को प्रथम दृष्टया संलिप्त पाए जाने पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम और आईपीसी के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, एफआईआर संख्या 18/2016 दिनांक 08.10.2016 दर्ज की गई और वह 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहा, इसलिए उसकी हिरासत निलंबित कर दी गई। इसके बाद, इसी तरह के दोहराए गए अपराधों पर 3 और एफआईआर दर्ज की गईं।	याचिकाकर्ता ने पूर्व रिट याचिका संख्या 10637/2021 में पारित आदेश के अनुसार अभ्यावेदन दायर किया, लेकिन इसे 20.09.2021 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि निलंबन अवधि के दौरान पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत चार अन्य एफआईआर दर्ज की गईं।	21.11.2016	8 वर्ष, 4 महीने, 6 दिन	(अभी भी निलंबित) एफआईआर संख्या 18/2016 दिनांक 08.10.2016 (08.02.2017 को आरोप पत्र दायर किया गया) (मुकदमे की स्थिति, अभियोजन साक्ष्य) एफआईआर संख्या 19/2017 (05.04.2025 को बरी) एफआईआर संख्या 03/2018 (27.02.2018 को आरोप पत्र दायर किया गया) (मुकदमे की स्थिति, अभियोजन साक्ष्य) और एफआईआर संख्या 40/2018 (05.11.2018 को आरोप पत्र दायर किया

						गया) (विचारण का प्रक्रम, आरोप विरचना)

4. प्रत्येक याचिकाकर्ता का संक्षिप्त और स्पष्ट मामला ऊपर दी गई तालिका में संक्षेपित किया गया है, फिर भी, आगे बढ़ने से पहले प्रत्येक याचिकाकर्ता की संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका विवरण आगे दिया गया है:-

5. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14863/2016

5.1. याचिकाकर्ता पर पटवारी के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1958 की धारा 7 के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे और 08.08.2012 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। अभियोजन स्वीकृति 22.05.2014 को प्रदान की गई थी और याचिकाकर्ता को 27.07.2016 को निलंबित कर दिया गया था। यद्यपि आक्षेपित निलंबन आदेश 2012 में दर्ज एफआईआर और 2014 में अभियोजन स्वीकृति को निर्दिष्ट करता है, लेकिन यह प्रकट नहीं करता है कि याचिकाकर्ता को इतने विलंबित प्रक्रम पर निलंबित क्यों किया गया। याचिकाकर्ता ने पहले भी निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 9476/2016 के अधीन

एक रिट याचिका दायर की थी, जिसका निपटारा इस न्यायालय द्वारा 22.08.2016 को किया गया था, जिससे याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता मिल गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उसे दिनांक 17.11.2016 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

6. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 13959/2018.

6.1. याचिकाकर्ता 26.12.1978 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुआ और 01.09.1983 को स्थायी हो गया। वह तहसील कार्यालय, सोजत में कार्यरत था। राजमल मेवाड़ा नामक व्यक्ति ने परिवाद में आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने बाबूलाल के पक्ष में नामांतरण प्रविष्टि में बदलाव न करने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 24.04.2018 को जाल बिछाकर एक अभियान चलाया, जिसमें याचिकाकर्ता को रंगे हाथों पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 25.04.2018 को एफआईआर संख्या 98/2018 दर्ज की गई।

6.2 गिरफ्तारी के बाद, याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 439 के अंतर्गत जमानत के लिए आवेदन किया, जो 26.04.2018 को स्वीकार कर लिया गया। रिहाई के बाद, वह उसी दिन दोपहर 1:30 बजे तहसील

कार्यालय में अपने कर्तव्यों पर लौट आया, जिससे पता चलता है कि वह 48 घंटे से अधिक समय से हिरासत में नहीं था। हालांकि, 27.04.2018 को पाली के जिला कलेक्टर ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13 को लागू करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि अभिकथित रिश्वतखोरी की घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि वह एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था और उसे नामांतरण अभिलेख में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा, प्रश्नगत नामांतरण प्रविष्टि 2012 तक राजस्व रिकॉर्ड में पहले ही दर्ज की जा चुकी थी तथा परिवादी एवं बाबुलाल के मध्य विवाद दीवानी न्यायालय में लंबित था।

7. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 16325/2021

7.1. याचिकाकर्ता, जो एक चिकित्सा अधिकारी है, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 20.09.2021 के आदेश को चुनौती देना चाहता है, जिसके तहत उसके निलंबन को वापस लेने के लिए दिनांक 18.08.2021 को प्रस्तुत उसका अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया था। यह अभ्यावेदन इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 10637/2021 में पारित आदेश के अनुसरण में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रतिवादीगण को चार सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

7.2. याचिकाकर्ता को गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 ('पीसीपीएनडीटी अधिनियम'), 1994 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभिकथित अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 18/2016 दिनांक 08.10.2016 (08.02.2017 को आरोप पत्र दाखिल; विचारण का वर्तमान प्रक्रम-अभियोजन साक्ष्य) के संबंध में गिरफ्तार करने के बाद 21.11.2016 को प्रारंभ में निलंबित कर दिया गया था। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट और आईपीसी के संबंध में तीन और एफआईआर भी दर्ज की गईं, यानी एफआईआर संख्या 19/2017 (विचारण के समापन पर- 05.04.2025 को दोषमुक्त), 03/2018 (27.02.2018 को आरोप पत्र दायर किया गया; विचारण का वर्तमान प्रक्रम- अभियोजन साक्ष्य) और एफआईआर संख्या 40/2018 (05.11.2018 को आरोप पत्र दायर किया गया; विचारण का वर्तमान प्रक्रम- आरोप विरचना)। याचिकाकर्ता का दावा है कि बाद में उन्हें गिरफ्तारी के 48 घंटे से भी कम समय में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जो कि विभाग द्वारा विवादित है। जबकि आपराधिक मुकदमा चल रहा था/रहा है, उसी तथ्यों के आधार पर, जो आपराधिक मामले का आधार बनते हैं, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम,

1958 के नियम 16 के अंतर्गत एक आरोप पत्र के साथ एक ज्ञापन के माध्यम से विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई थी।

7.3 प्रतिवादीगण ने 01.03.2021 को एक जाँच अधिकारी नियुक्त करके विभागीय जाँच शुरू की। याचिकाकर्ता 21.11.2016 से निलंबित है।

<u>**याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें**</u>

8. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14863/2016

8.1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि 17.11.2016 का आक्षेपित आदेश अवैध, मनमाना और अनुचित है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। प्रतिवादी ने केवल 07.07.2010 के परिपत्र के आधार पर अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया, जो केवल सलाहकार प्रकृति का है। 1958 के नियम 13 में अभियोजन स्वीकृति मिलने पर स्वतः निलंबन का प्रावधान नहीं है। हालाँकि, जिला कलेक्टर ने इस पहलू पर उचित रूप से विचार नहीं किया, जिससे आक्षेपित आदेश अवैध हो गया और निरस्त एवं अपास्त किए जाने योग्य हो गया।

8.2. 27.07.2016 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का निलंबन भी अवैध है। आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को क्यों निलंबित किया गया। याचिकाकर्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7

के अंतर्गत 08.08.2012 को एफआईआर दर्ज की गई थी और 22.05.2014 को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई थी। फिर भी, एफआईआर दर्ज होने की तिथि से लगभग चार वर्ष की देरी के बाद, याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया। इसलिए यह निलंबन अवैध है और इसे रद्द और अपास्त किया जाना चाहिए।

8.3. याचिकाकर्ता ने आगे दलील दी है कि किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए। निलंबन न केवल नियोक्ता को कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग करने से वंचित करता है, बल्कि निर्वाह भत्ते के भुगतान के माध्यम से सार्वजनिक धन पर भी बोझ डालता है। निलंबन की वांछनीयता निर्धारित करने के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों की जाँच करना सक्षम प्राधिकारी की ज़िम्मेदारी है। इस मामले में, निलंबन आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसे इस विलंबित प्रक्रम में क्यों जारी किया गया, जिससे निलंबन अवैध हो जाता है।

8.4. निलंबन आदेश तथ्यों पर निष्पक्ष रूप से विचार किए बिना या यह निर्धारित किए बिना कि निलंबन आवश्यक, वांछनीय या अपरिहार्य था, यंत्रवत् पारित कर दिया गया। इसलिए, आक्षेपित निलंबन आदेश अवैध है और इसे रद्द और अपास्त किया जाना चाहिए।

8.5. याचिकाकर्ता का तर्क है कि सक्षम प्राधिकारी ने निलंबन आदेश जारी करने से पहले उचित विचार नहीं किया, क्योंकि निलंबन का कोई औचित्य नहीं है। प्रेम प्रकाश माथुर बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, न्यायालय ने इस बात पर बल दिया था कि निलंबन कोई सज़ा नहीं है, लेकिन यह सज़ा से भी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, जिससे अपमान होता है।

8.6. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे में विलम्ब करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई आरोप नहीं है। दरअसल, निलंबन आदेश एफआईआर दर्ज होने की तारीख से लगभग तीन साल की विलम्ब के पश्चात्, बिना किसी सोच-विचार के जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विभागीय जांच भी शुरू नहीं की गई है। इसलिए, निलंबन अवैध है और इसे रद्द और अपास्त किया जाना चाहिए।

9. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 13959/2018

9.1. दिनांक 27.04.2018 का आक्षेपित आदेश दिनांक 07.07.2010 के परिपत्र पर आधारित है, जिसमें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए कर्मचारियों के निलंबन का आदेश दिया गया है।

9.2. यद्यपि निलंबन को कानूनी रूप से दंड नहीं माना जाता है, लेकिन इसका कर्मचारी की गरिमा और प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तर पर अपमान होता है।

9.3. दिनांक 07.07.2010 का परिपत्र एक कार्यकारी निर्देश है, जो केवल उन कमियों को पूरा कर सकता है जहाँ कोई वैधानिक कानून नहीं है। हालाँकि, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में निलंबन के विशिष्ट प्रावधान हैं, और ये कार्यकारी निर्देश वैधानिक कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए, इस परिपत्र पर आधारित विवादित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

9.4. निलंबन आदेश पारित करते समय, प्रतिवादी प्राधिकारी को विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या कर्मचारी की कार्यालय में निरंतर उपस्थिति किसी जाँच, अन्वेषण या विचारण के लिए प्रतिकूल होगी, या क्या इससे जनहित को नुकसान होगा। प्राधिकारी ने विवादित निलंबन आदेश जारी करते समय इन कारकों को ध्यान में नहीं रखा, जिससे यह आदेश रद्द किए जाने योग्य है।

9.5. दिनांक 07.07.2010 के परिपत्र की तरह, प्रशासनिक निर्देश भी वैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। 1958 के नियमों के नियम 13 में निलंबन की शर्तें बताई गई हैं, और यह परिपत्र कानून द्वारा

निर्धारित नहीं किए गए कारकों के आधार पर स्वतः निलंबन का आदेश नहीं दे सकता। इसलिए, निलंबन आदेश गैरकानूनी है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।

9.6. 1958 के नियमों के नियम 13 के अनुसार, निलंबन तभी स्वतः होता है जब कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से ज़्यादा समय तक अभिरक्षा में रहा है। चूँकि याचिकाकर्ता को इस अवधि तक अभिरक्षा में नहीं रखा गया था, और वैधानिक प्रावधानों में रंगे हाथों पकड़े जाने या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाने पर निलंबन का प्रावधान नहीं है, इसलिए प्रशासनिक परिपत्र पर आधारित निलंबन आदेश अविधिमान्य है।

9.7. किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने से पहले नियुक्ति प्राधिकारी को पूरी तरह सोच-विचार कर लेना चाहिए। आक्षेपित निलंबन आदेश में ऐसी किसी प्रकार की विचारणा परिलक्षित नहीं होती, जिससे यह प्रतिपादित मूलभूत सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन करता है।

10. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 16325/2021

10.1. यह सुस्थापित है कि निलंबन किसी कर्मचारी को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है, जैसे कि आंतरिक जाँच के दौरान कर्मचारी को साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या गवाहों

को प्रभावित करने से रोकना। आक्षेपित आदेश दिनांकित 20.09.2021 (अनुलग्नक 1) को पढ़ने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी पूर्वोक्त के आलोक में अभ्यावेदन पर विचार करने में विफल रहे और अनुचित आधारों पर पुनः स्थापित करने से इनकार कर दिया। अतः, केवल इसी आधार पर, रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। उनका तर्क है कि समान तथ्यों और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर समानांतर जाँच आगे नहीं बढ़ सकती।

10.2. आरोपित आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रतिवादीगण ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखकर याचिकाकर्ता का पंजीकरण रद्द करने की मांग की है, हालाँकि याचिकाकर्ता के पास अभी भी यह पंजीकरण है। मेडिकल काउंसिल याचिकाकर्ता का पंजीकरण तब तक रद्द नहीं कर सकती जब तक कि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी न ठहराया जाए। चूँकि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया है और उसने 2018 से अच्छा आचरण बनाए रखा है, इसलिए निलंबन हटाए जाने पर प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नहीं होगा। लंबे समय तक निलंबन ने याचिकाकर्ता के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, इसलिए रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण की ओर से दलीलें

11. विरोध में, इन सभी याचिकाओं में प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का सुसंगत रुख यह है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रशासनिक परिपत्रों, विशेषकर 22.03.2023 के परिपत्र (जिस पर इस आदेश के अगले भाग में विस्तार से चर्चा की गई है) के माध्यम से पहले से ही स्थापित स्पष्ट और व्यापक उपचारात्मक ढाँचे को देखते हुए, इस न्यायालय को हस्तक्षेप से बचना चाहिए। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया कि पुनर्विलोकन समिति और निलंबन प्राधिकारी दोनों ही याचिकाकर्ताओं के मामलों की जाँच करके और समुचित प्रशासनिक आदेश जारी करके कानून और लागू परिपत्रों के अनुसार सख्ती से कार्य करेंगे। तदनुसार, याचिकाएँ केवल इसी आधार पर, बिना किसी और मध्यक्षेप की आवश्यकता के, खारिज किए जाने योग्य हैं। फिर भी, प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर दी गई विनिर्दिष्ट दलीलों को निम्नलिखित पैरा में संबोधित किया गया है।

12. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14863/2016

12.1. निलंबन गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर आधारित है, जिसमें प्रथम दृष्टया साक्ष्य और अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। आपराधिक मामले के निपटारे तक याचिकाकर्ता को कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति देना अनुचित माना गया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री में गंभीर

भ्रष्टाचार के आरोप, जिनमें रिश्वत मांगने के लिए जालसाजी की कार्रवाई में पकड़े जाने का आरोप भी शामिल है, का खुलासा हुआ है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, निलंबन उचित है। निलंबन न करने से राजतंत्र में जनता का विश्वास कम होगा।

12.2. निलंबन जाँच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी उपाय है, सज़ा नहीं। निर्दोष साबित होने पर, याचिकाकर्ता को निलंबन अवधि के लिए लाभ प्राप्त होंगे। निलंबन राज्य सरकार का एक प्रशासनिक कार्य है और इस न्यायालय को अपने निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। निलंबन को चुनौती देने वाली रिट याचिका पोषणीय नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

12.3. याचिकाकर्ता के पास राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर करके, सीसीए नियम 1958 के अंतर्गत एक वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपलब्ध है। इस उपचार को छोड़कर सीधे न्यायालय जाने पर रिट याचिका पोषणीय नहीं रह जाती और खारिज की जा सकती है।

13. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 13959/2018

13.1 याचिकाकर्ता को दिनांक 24.04.2018 को तहसील कार्यालय सोजत, जिला पाली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत रहते हुए 10,000/-

रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के कारण निलंबित किया गया है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और याचिकाकर्ता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, अतः याचिकाकर्ता के विरुद्ध ऐसे गंभीर आरोपों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को निलंबित करने के आदेश दिनांकित 27.04.2018 में किसी प्रकार का मध्यक्षेप अपेक्षित नहीं है।

13.2. यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 27.04.2018 के आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता के पास 1958 के नियम 22 के अंतर्गत अपील दायर करने के रूप में एक आनुकल्पिक उपचार उपलब्ध है। वस्तुतः, याचिकाकर्ता ने अपील के उक्त आनुकल्पिक वैधानिक उपचार का लाभ पहले ही उठा लिया है और अपील ज्ञापन की एक प्रति रिट याचिका के साथ दिनांक 10.05.2018 के अनुलग्नक 17 के रूप में संलग्न है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। इस तथ्य की दृष्टि में याचिकाकर्ता ने पहले ही अपील के आनुकल्पिक उपचार का लाभ उठा लिया है, याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है और केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।

14. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 16325/2021

14.1. बालेसर के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करते समय, याचिकाकर्ता के खिलाफ पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 और आईपीसी धाराओं के अंतर्गत अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 18/2016 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता को 08.10.2016 को अभिरक्षा में लिया गया था। 48 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में रहने के बाद, याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13 को लागू करके 21.11.2016 को निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध 08.02.2017 को चालान पेश किया गया था। अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रतिवादी के विभाग को 09.06.2020 को प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के पुनर्विलोकन के पश्चात्, याचिकाकर्ता के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत आरोपों का ज्ञापन 06.08.2020 को जारी किया गया था। याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, और याचिकाकर्ता ने 04.11.2020 को जवाब प्रस्तुत किया।

14.2. प्रतिवादी संख्या 1 ने भी 16.03.2021 को राजस्थान मेडिकल काउंसिल को याचिकाकर्ता का पंजीकरण रद्द करने के संबंध में एक पत्र

भेजा। निलंबन अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता के विरुद्ध पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन के लिए एफआईआर संख्या 19/2017, 03/2018 और 40/2018 भी दर्ज की गईं।

14.3. जवाब के पुनर्विलोकन के पश्चात, जो असंतोषजनक पाया गया, विस्तृत विभागीय जांच कराने का निर्णय लिया गया। दिनांक 01.03.2021 को आयुक्त चतुर्थ विभागीय जांच को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

14.4. तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों या किसी वैधानिक प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है, और याचिकाकर्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का अवलम्ब लेने का हकदार नहीं है।

चर्चा और विश्लेषण

15. मैं अब इसके कारणों को अभिलिखित करके तथा आगामी भाग में लागू कानून के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुणों एवं अवगुणों पर चर्चा और विश्लेषण करने के पश्चात अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

16. सबसे पहले कानून

16.1. यहाँ विवाद किसी सरकारी कर्मचारी के किसी आपराधिक अपराध से संबंधित अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक उसके निलंबन को जारी रखने से संबंधित मूल कानूनी मुद्दे के दायरे और व्यापकता पर केंद्रित है। राजस्थान राज्य में, ऐसा निलंबन आदेश राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 (संक्षेप में सीसीए नियम) के अंतर्गत पारित किया जाता है। इसका नियम 13 (भारत सरकार के सीसीए के नियम 10 के समान), प्रासंगिक होने के कारण, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> **"13. निलंबन:-**
>
> ***(1)* नियुक्ति प्राधिकारी या कोई प्राधिकारी जिसके वह अधीनस्थ है या सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर सकता है।**
>
> *(क)* जहां उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है या लंबित है,
>
> या
>
> (ख) **जहां उसके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में अन्वेषण या विचारण चल रहा हो:**

परन्तु जहां निलंबन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी को तत्काल उन परिस्थितियों की रिपोर्ट देगा जिनमें आदेश किया गया था।

***(2)* किसी सरकारी कर्मचारी को, चाहे वह आपराधिक आरोप में हो या अन्यथा, अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसे उपनियम *(1)* के अधीन सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा अभिरक्षा की तारीख से निलंबित माना जाएगा और वह अगले आदेश तक निलंबित रहेगा।**

(3) जहां निलंबित सरकारी सेवक पर लगाई गई सेवा से बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति इन नियमों के अधीन अपील में या समीक्षा पर अपास्त कर दी जाती है और मामला आगे की जांच या कार्यवाही के लिए या किसी अन्य निर्देश के साथ भेज दिया जाता है, वहां उसके निलंबन का आदेश बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से प्रवृत्त माना जाएगा और अगले आदेश तक प्रवृत्त रहेगा।

(4) जहां सरकारी सेवक पर अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति किसी न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा अपास्त कर दी जाती है या शून्य घोषित या शून्य कर दी जाती है और आनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद,

उन आरोपों पर उसके विरुद्ध आगे की जांच करने का निर्णय लेता है जिनमें बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति मूल रूप से अधिरोपित की गई थी, वहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से निलंबित माना जाएगा और अगले आदेश तक निलंबन में बना रहेगा।

(5) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया कोई निलंबन आदेश किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा वापस लिया जा सकेगा जिसने आदेश दिया है या किया हुआ समझा गया है या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसके अधीन वह प्राधिकारी है।

16.2. सीसीए नियमों का नियम 13(1)(ए) नियुक्ति प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी को किसी कर्मचारी को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है जब आपराधिक कार्यवाही लंबित हो, चाहे वह एफआईआर के या उससे उत्पन्न होने वाला विचारण के प्रक्रम पर हो।

16.3. जैसा कि नियम 22 और नियम 34 के उद्धरण से स्पष्ट है, निलंबन के विरुद्ध उपचार दोहरे हैं, जो इस प्रकार हैं:-

"22. निलंबन के आदेशों के विरुद्ध अपील-

- कोई सरकारी कर्मचारी निलंबन आदेश के विरुद्ध उस प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा जिसके अधीनस्थ वह

प्राधिकारी है जिसने आदेश दिया है या आदेश देने वाला समझा जाता है, तुरंत अधीनस्थ है।"

"34. राज्यपाल की पुनर्विलोकन करने की शक्ति:–

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल स्वप्रेरणा से या अन्यथा, इन मामलों के अभिलेख मंगाने के पश्चात्, इन नियमों या नियम *35* द्वारा निरसित नियमों के अधीन किए गए या अपील योग्य किसी आदेश का पुनरीक्षण कर सकेंगे और जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो, वहां आयोग से परामर्श करने के पश्चात्*:-*

(क) आदेश को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेंगे*;*

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को अपास्त कर सकेंगे, कम कर सकेंगे, पुष्टि कर सकेंगे या बढ़ा सकेंगे*;*

(ग) मामले को उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया था, या किसी अन्य प्राधिकारी को, मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे जाने पर, आगे की कार्रवाई या जांच का निर्देश देते हुए भेज सकेंगे*;* या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेंगे, जिन्हें वह ठीक समझे*;*

x-x-x-x-x"

17. इस मुद्दे पर अन्य देशों में कानून की स्थिति के विश्लेषण से पता चलता है कि वैश्विक क्षेत्राधिकारों (यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस)

में निलंबन एक सार्वभौमिक प्रशासनिक उपकरण है, न कि सजा, जिसे कर्मचारी को दंडित करने के बजाय सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए बनाया गया है। निर्दोषता की उपधारणा एक साझा सिद्धांत है, फिर भी इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग भिन्न होता है। हालांकि, मुख्य अंतर यह है कि भारत के विपरीत, निलंबन के दौरान पूर्ण वेतन एक आदर्श है (यूएसए में दुर्लभ मामलों को छोड़कर), इसके दंडात्मक दंश को कम करता है, हालांकि, निश्चित रूप से, लंबी अवधि सर्वत्र विवाद का कारण बनी रही है। वास्तव में, यूएसए अपनी मजबूत संवैधानिक प्रक्रिया सुरक्षा के लिए खड़ा है, जिसमें कुछ मामलों में पूर्व-निलंबन सुनवाई की आवश्यकता होती है, यूके और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत, जहां नियोक्ता का विवेक व्यापक, निष्पक्षता सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित है। फ्रांस की कठोर समय बाधित निलंबन व्यवस्था अन्य देशों में अपनाई जाने वाली अधिक लचीली, मामले दर मामले पद्धति के विपरीत है, जो अधिक पूर्वानुमेयता प्रदान करती है, किंतु अपेक्षाकृत कम अनुकूलनशीलता रखती है। न्यायिक विलंब वाली प्रणाली, अर्थात् भारत में, संपार्श्विक दंड की धारणा सर्वाधिक स्पष्ट है, जहां निलंबन वर्षों तक चल सकता है, जिसमें दोषसिद्धि के बिना ही दण्ड के समान प्रभाव उत्पन्न करते हुए वेतन में 25% से 50% तक की वित्तीय कटौती भी शामिल है, जैसा भी मामला हो।

18. आइए अब भारत में इस मुद्दे पर लागू कानून का विश्लेषण करें कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी को, जो किसी एफआईआर में अभियुक्त है, किसी आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहा है, या प्रशासनिक स्वीकृति पर अभियोजन की प्रतीक्षा कर रहा है, दोषमुक्त होने तक सेवा से निलंबित रखा जा सकता है—और क्या ऐसा निलंबन संपार्श्विक दंड का गठन करता है। इसका उत्तर संवैधानिक ढाँचे, वैधानिक प्रावधानों और न्यायिक उदाहरणों में दिया गया है जो स्थिति का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

संवैधानिक ढाँचा

19. भारतीय संविधान वह आधारशिला है जिससे निलंबित सरकारी सेवक के अधिकारों का उद्गम होता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता और समान संरक्षण सुनिश्चित करता है, जिसके अनुसार निलंबन जैसी प्रशासनिक कार्यवाही उचित, मनमानी रहित और आनुपातिक होनी चाहिए। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक व्याख्या करते हुए आजीविका के अधिकार को भी इसके अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया है। लंबे समय तक निलंबन, विशेष रूप से निर्वाह भत्ते से अधिक वेतन के बिना, कर्मचारी को सम्मानजनक जीवन से वंचित करके इस अधिकार का उल्लंघन करेगा। निर्दोषता की उपधारणा, यद्यपि स्पष्ट रूप से निहित नहीं है, भारतीय

आपराधिक न्यायशास्त्र का एक आधारभूत सिद्धांत है और अनुच्छेद 21 द्वारा इसे विधिवत रूप से सुदृढ़ किया गया है। आगे बढ़ते हुए, अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को प्रक्रियात्मक संरक्षा प्रदान करता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने वाली जाँच के बाद ही उन्हें बर्खास्त या पद में अवनत किया जा सकता है। यद्यपि निलंबन स्पष्ट रूप से इसके अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन यदि इसका लम्बे समय तक प्रयोग बिना उचित प्रक्रिया के दण्ड देने के समान हो तो यह अप्रत्यक्ष रूप से इन सुरक्षाओं को कमजोर कर सकता है।

कानूनी उपबंध

20. राजस्थान राज्य में किसी सरकारी कर्मचारी का निलंबन राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 द्वारा विनियमित होता है। इसके नियम 13 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी को किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार है यदि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित हो या लंबित हो, या कर्मचारी किसी आपराधिक अपराध के लिए अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन हो। उपर्युक्त प्रासंगिक जानकारी पहले ही उद्धृत की जा चुकी है। इसी प्रकार, भारत संघ में भी समान नियम लागू हैं, अर्थात् केंद्रीय सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965। इसके नियम 10 के अनुसार।

न्यायिक विकास: अनिश्चितकालीन निलंबन पर प्रतिबंध

21. पिछले कुछ वर्षों में, सर्वोच्च न्यायालय ने निलंबन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मध्यक्षेप किया है, विशिष्टतया उन मामलों में जहाँ कर्मचारी आपराधिक विचारण में विलम्ब के कारण लंबे समय तक निलंबित रहते हैं। **खेम चंद बनाम भारत संघ (1958)**[2] में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल कार्यवाही का सामना करने से पहले अपनी बात रखने का अधिकार है, इस प्रकार सेवा कानून में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की नींव रखी गई।

21.1. **ओपी गुप्ता बनाम भारत संघ (1987)**[3] में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब तक मुकदमा समय पर आगे न बढ़े, तब तक लंबे समय तक निलंबन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार, **उड़ीसा राज्य बनाम बिमल कुमार मोहंती (1994)**[4] में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निलंबन का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए और बिना किसी औचित्य के इसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता। **भारत संघ बनाम दीपक माली (2010)**[5] में सर्वोच्च

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक एफआईआर का मात्र पंजीबद्ध किया जाना निलम्बन को स्वतः ही उचित नहीं ठहराता है।

----

2 एआईआर 1958 एससी 300

3 (1987) 4 एससीसी 328

4 (1994) 4 एससीसी 126

5 (2010) 2 एससीसी 222

यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियोक्ता को यह आकलन करना चाहिए कि आरोपों की प्रकृति कर्मचारी की कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है या नहीं।

21.2. **अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ (2015)**[6] मामले में, आपराधिक कार्रवाई के कारण निलंबित सरकारी कर्मचारी की दुर्दशा पर खेद व्यक्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि तीन महीने के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है, तो निलंबन को तब तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि विशेष कारणों से उचित न ठहराया जाए। लंबे समय तक निलंबन एक "दंडात्मक" कार्यवाही है, जो निष्पक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। निलंबन की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह एक मनमाना दंड न बन जाए। सुलभ संदर्भ के लिए प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:-

---

11. निलंबन, विशेष रूप से आरोप-पत्र तैयार करने से पहले, अनिवार्य रूप से क्षणिक या अस्थायी प्रकृति का होता है, और अनिवार्यतः अल्पकालिक होता है। यदि यह अनिश्चित अवधि के लिए है या इसका नवीनीकरण अभिलेख में उपलब्ध समसामयिक ठोस तर्क पर आधारित नहीं है, तो यह दंडात्मक प्रकृति का होगा। विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ हमेशा विलंब से शुरू होती हैं, आरोप-पत्र तैयार करने से पहले और बाद में टालमटोल से ग्रस्त होती हैं, और अंततः और भी अधिक विलंब के बाद समाप्त होती हैं।

12. निलंबन की लंबी अवधि और उसका बार-बार नवीनीकरण, दुर्भाग्य से एक आदर्श बन गया है, न कि अपवाद, जैसा कि होना चाहिए। निलंबित व्यक्ति, आक्षेपों की बदनामी, समाज की अवमानना और अपने

----

6 (2015) *7* एससीसी 291

विभाग का परिहास करते हुए, किसी दुष्कर्म, अविवेक या अपराध का औपचारिक आरोप लगने से पहले ही यह कष्ट सहता है। उसकी पीड़ा यह है कि उसे पता है कि यदि आरोप लगाया भी जाता है, तो न्यायिक जाँच या जाँच को अपनी अंतिम स्थिति तक पहुँचने में, अर्थात् उसकी निर्दोषता या अधर्म का निर्धारण करने में, अनिवार्य रूप से बहुत अधिक समय लगेगा। अब प्रायः ऐसा देखा जाता है कि यह सेवानिवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ एक सामान्य सहगामी बन गया

है। निस्संदेह, कुतर्क करने वाला यह चतुराई से प्रतिवाद कर सकता है कि हमारा संविधान न तो कारावास में निरुद्ध व्यक्तियों को भी शीघ्र विचारण का अधिकार स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करता है और न ही अभियुक्त के लिए निर्दोषता की उपधारणा को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये दोनों ही कारक कानूनी आधारभूत मानदंड हैं, सामान्य विधि न्यायशास्त्र के अभिन्न सिद्धांत हैं, जो *1215* के मैग्ना कार्टा से भी पहले के हैं, जो यह आश्वासन देता है कि - "हम किसी को कुछ नहीं बेचेंगे, हम किसी को भी न्याय या अधिकार से वंचित या आस्थगित नहीं करेंगे।" इसी प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का छठा संशोधन यह गारंटी देता है कि सभी आपराधिक मुकदमों में अभियुक्त को शीघ्र और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा।

13. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 का अनुच्छेद 12 आश्वासन देता है कि:

> *"12.* किसी की भी निजता, परिवार, घर या पत्र-व्यवहार में मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर कोई हमला किया जाएगा। ऐसे हस्तक्षेप या हमलों के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा का अधिकार है।"

14. हाल ही में, मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 6(1) में यह वचन दिया गया है कि:

"6. (1) अपने नागरिक अधिकारों और दायित्वों या अपने विरुद्ध किसी भी आपराधिक आरोप के निर्धारण में, प्रत्येक व्यक्ति उचित समय के भीतर निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का हकदार है*...."*

और इसके दूसरे उप-अनुच्छेद में कहा गया है कि*:*

"6. (2) आपराधिक अपराध का आरोप लगाए गए प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह कानून के अनुसार दोषी साबित न हो जाए।*"*

15. से *19. xxx xxx xxx xxx*

20. यह स्मरण करना आवश्यक होगा कि *1973* से पहले किसी अभियुक्त को यद्यपि न्यायिक संवीक्षा और पर्यवेक्षण के बाद, लगातार *15* दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता था। दंड प्रक्रिया संहिता, *1973* में एक नया परंतुक है, जिसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट की उस स्थिति में अभियुक्त को *90* दिनों से अधिक अवधि तक अभिरक्षा में रखने की शक्ति सीमित हो जाती है, जहाँ अन्वेषण मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम से कम *10* वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित हो, और जहाँ अन्वेषण किसी अन्य अपराध से संबंधित हो, वहाँ अभियुक्त को *60* दिनों से अधिक अवधि तक हिरासत में रखने की शक्ति सीमित हो जाती है। रघुबीर सिंह बनाम बिहार राज्य *[(1986) 4* एससीसी *481: 1986* एससीसी *(*सीआरआई*) 511]* में खंड न्यायपीठ द्वारा दिए गए अवलोकनों और अंतुले *[(1992) 1* एससीसी *225: 1992* एससीसी *(*सीआरआई*) 93]*

में संविधान पीठ द्वारा दिए गए अवलोकनों से समर्थन प्राप्त करते हुए, हम विभागीय/अनुशासनात्मक जांच के मामलों में निलंबन आदेशों को उदार बनाने के लिए सीआरपीसी, *1973* की धारा *167(2)* के प्रावधान का सार निकालने के लिए प्रेरित हैं। हमें ऐसा लगता है कि यदि संसद ने यह आवश्यक समझा कि किसी व्यक्ति को *90* दिनों की समाप्ति के बाद कारावास से रिहा किया जाए, भले ही वह सबसे जघन्य अपराध करने का आरोपी हो, तो समान अवधि की समाप्ति के बाद निलंबन जारी नहीं रखा जाना चाहिए, खासकर जब निलंबित व्यक्ति पर आरोपों/आरोप-पत्र का ज्ञापन नहीं दिया गया हो। यह सत्य है कि धारा *167(2)* सीआरपीसी के परंतुक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है, लेकिन मानव गरिमा के सम्मान और संरक्षण के साथ-साथ त्वरित सुनवाई के अधिकार को भी उसी स्तर पर रखा जाना चाहिए।

21. **अतः, हम निर्देश देते हैं कि यदि इस अवधि के भीतर अपचारी अधिकारी/कर्मचारी पर आरोपों का ज्ञापन/आरोप-पत्र तामील नहीं किया जाता है, तो निलंबन आदेश का जारी रहना तीन महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए; यदि आरोपों का ज्ञापन/आरोप-पत्र तामील हो जाता है, तो निलंबन अवधि बढ़ाने के लिए एक तर्कसंगत आदेश पारित किया जाना चाहिए। जैसा कि वर्तमान मामले में है, सरकार संबंधित व्यक्ति को राज्य के भीतर या बाहर अपने किसी भी कार्यालय में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र है ताकि उसके किसी भी**

<u>स्थानीय या व्यक्तिगत संपर्क को समाप्त किया जा सके जिसका वह अपने विरुद्ध जाँच में बाधा डालने के लिए दुरुपयोग कर सकता है।</u> सरकार उसे किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने, या अभिलेख और दस्तावेजों को संभालने से तब तक रोक सकती है जब तक कि वह अपना बचाव तैयार न कर ले। हमें लगता है कि यह मानव गरिमा के सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांत और शीघ्र सुनवाई के अधिकार की पर्याप्त रूप से रक्षा करेगा और अभियोजन पक्ष में सरकार के हित को भी सुरक्षित रखेगा। हम मानते हैं कि पिछली संविधान पीठें विलम्ब के आधार पर कार्यवाही को रद्द करने और उनकी अवधि के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के लिए अनिच्छुक रही हैं। हालांकि, निलंबन की अवधि पर सीमा लगाने पर पूर्व के मामले के कानून में चर्चा नहीं की गई है, और यह न्याय के हितों के विपरीत नहीं होगा। इसके अलावा, केंद्रीय सतर्कता आयोग का निर्देश कि आपराधिक जांच लंबित रहने तक विभागीय कार्यवाही प्रास्थगित रखी जाए, हमारे द्वारा अपनाए गए रुख के मद्देनजर रद्द हो गया है। *(जोर दिया गया)*

<u>प्रशासनिक परिपत्र / अनुदेश</u>

22. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने समय-समय पर जारी प्रशासनिक परिपत्रों पर अत्यधिक भरोसा किया है। सबसे पहले उन्हीं का संदर्भ लिया जा सकता है, जिनके अनुवादित संस्करण नीचे उद्धृत हैं:-

(1) परिपत्र दिनांक 19.04.1999

अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के निलंबन के मामलों तथा ऐसे मामलों, जिनमें आरोप पत्र जारी नहीं किए गए हैं, का पुनर्विलोकन करने तथा उनके निलंबन को जारी रखने या बहाल करने के संबंध में निर्णय लेने के उद्देश्य से माननीय राज्यपाल निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति का गठन करते हैं:-

1. संबंधित विभाग के मंत्री	अध्यक्ष
2. प्रशासनिक विभाग के संबंधित सचिव	सदस्य
3. विभागाध्यक्ष	सदस्य सचिव

<u>विभागाध्यक्ष पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों पर विचार करेंगे तथा प्रत्येक मामले में उसकी योग्यता के आधार पर कार्यवाही करेंगे।</u>

उपर्युक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक *(के-3)* विभाग होगा।"

(2) परिपत्र दिनांक 23.06.2000

"इस विभागीय आदेश दिनांक *19.4.99* के अनुक्रम में अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के निलंबन के मामलों तथा जिन मामलों में आरोप पत्र जारी नहीं किए गए हैं, उनका

पुनर्विलोकन करने तथा उनके निलंबन या बहाली के संबंध में निर्णय लेने के लिए गठित समिति के अंत में निम्नलिखित पंक्तियों को जोड़ने के लिए महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है *:*

(1) समिति की बैठक प्रत्येक *3* माह में कम से कम एक बार होगी।

(2) विभागाध्यक्ष पुनर्विलोकन समिति की सिफारिश के आधार पर समुचित कार्रवाई करेंगे।*.*

(3) प्रशासनिक सुधार विभाग का आदेश संख्या पी.*6 (23)* प्र.सू.*/*अनु.*3/93* दिनांक *16.6.93* एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।"

(3) परिपत्र दिनांक 28.07.2008

"एसीबी द्वारा आपराधिक मामले दर्ज किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा निलंबित किये गये सरकारी कर्मचारियों के मामलों के पुनर्विलोकन के संबंध में दिनांक *08.06.99* के आदेश के अधिक्रमण में, महामहिम राज्यपाल के आदेश से निम्नलिखित राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है*:-*

1. मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर	सदस्य
3. संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव	सदस्य
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक	सदस्य सचिव

समिति तीन वर्ष से अधिक अवधि के निलंबन के मामलों का पुनर्विलोकन करेगी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों में तीन वर्ष से अधिक अवधि तक निलंबित रहे राज्य सेवा के अधिकारियों के मामलों की समिति द्वारा प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर पुनर्विलोकन किया जाएगा। तीन वर्ष की अवधि की गणना सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि से की जाएगी।

समिति प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपनी सिफारिशें राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) को प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय लेगी।

उपर्युक्त समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक (के-3/शिकायत) विभाग होगा।"

(4) परिपत्र दिनांक 22.03.2023

"विषय: आपराधिक मामलों में लोक सेवकों के निलंबन और बहाली के संबंध में अनुदेश।

राजस्थान सिविल सेवा *(*वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील*)* नियम*, 1958* के नियम *13* के प्रावधानों के अन्तर्गत आपराधिक मामलों में लोक सेवकों के निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा परिपत्र संख्या पी*. 2 (157)* कार्मिक*/*ए*-3/97* जयपुर दिनांक *10.08.2001* एवं

दिनांक *07.07.2010* में जारी निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं*:-*

क. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा पंजीकृत आपराधिक मामलों में निलंबन और बहाली:

1. यदि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, या भ्रष्टाचार से संबंधित किसी अन्य मामले में *48* घंटे से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है, तो संबंधित लोक सेवक को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा।

लोक सेवकों से संबंधित ऐसे मामलों में, जब अभियोजन स्वीकृति जारी हो जाती है और सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान दाखिल हो जाता है, तो मामला निलंबन से बहाली पर विचार करने के लिए गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

2. भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामलों (रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने को छोड़कर) जैसे आय से अधिक संपत्ति से संबंधित मामलों या धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामलों में, यदि लोक सेवक को पहले निलंबित नहीं किया गया है, तो अभियोजन स्वीकृति जारी होने पर, सक्षम प्राधिकारी तथ्यों, आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, लोक सेवक से उचित आचरण के लिए राज्य सरकार की अपेक्षा, पद की गरिमा और अभियोजन/जांच या साक्ष्य को प्रभावित करने की

संभावना के आधार पर मामले की जांच करेगा और लोक सेवक के निलंबन के संबंध में उचित निर्णय लेगा।

यदि ऐसे मामले में लोक सेवक को निलंबित किया गया है, तो सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने पर, लोक सेवक का मामला निलंबन से बहाली के संबंध में विचार हेतु समीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा।

ख. पुलिस द्वारा दर्ज जघन्य एवं गंभीर आपराधिक मामलों में निलंबन एवं बहाली:

1. हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, मानव तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग और नैतिक अधमता जैसे जघन्य और गंभीर अपराधों से जुड़े आपराधिक मामलों में यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाता है और *48* घंटे से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है, तो ऐसे लोक सेवक को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा।

लोक सेवकों से संबंधित ऐसे मामलों में, यदि सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान पहले ही दायर किया जा चुका है, तो उनका मामला निलंबन से बहाली पर विचार करने के लिए गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

2. हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, मानव तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग, तथा नैतिक अधमता जैसे जघन्य

एवं गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों में, यदि लोक सेवक को गिरफ्तार नहीं किया गया है या पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि *48* घंटे या उससे कम है, तो सक्षम प्राधिकारी मामले के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, लोक सेवक से उचित आचरण के लिए राज्य सरकार की अपेक्षा, धारित पद की गरिमा, तथा अभियोजन/जांच को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना के आलोक में मामले की जांच करेगा तथा लोक सेवक के निलंबन के संबंध में उचित निर्णय लेगा।

यदि ऐसे मामले में लोक सेवक को निलंबित किया गया है, तो सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने पर, लोक सेवक का मामला निलंबन से बहाली के संबंध में विचार हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

ग. गबन, पद के दुरुपयोग से राजकोष को नुकसान, या आधिकारिक पद के दुरुपयोग के अन्य अपराधों से संबंधित पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों में निलंबन और बहाली:

1. गबन, पद का दुरुपयोग कर राजकोष को नुकसान पहुंचाने या आधिकारिक पद के दुरुपयोग से जुड़े अन्य अपराधों से संबंधित आपराधिक मामलों में, यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाता है और *48* घंटे से अधिक समय तक पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है, तो ऐसे लोक सेवक को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा।

लोक सेवकों से संबंधित ऐसे मामलों में, यदि सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान दायर किया गया है, तो निलंबन से बहाली के संबंध में विचार हेतु मामला पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

2. गबन, पद का दुरुपयोग कर राजकोष को हानि पहुंचाने, या पद के दुरुपयोग से संबंधित अन्य अपराधों से संबंधित आपराधिक मामलों में, यदि लोक सेवक को गिरफ्तार नहीं किया गया है, या पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि *48* घंटे या उससे कम है, तो सक्षम प्राधिकारी मामले के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, लोक सेवक से उचित आचरण के लिए राज्य सरकार की अपेक्षा, पद की गरिमा, तथा अभियोजन/जांच को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना के आधार पर मामले की जांच करेगा, और लोक सेवक के निलंबन के संबंध में उचित निर्णय लेगा।

यदि ऐसे मामले में लोक सेवक को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, तो सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने पर निलंबन से बहाली के संबंध में विचार हेतु मामला पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

घ. पुलिस द्वारा पंजीकृत अन्य आपराधिक मामलों में निलंबन और बहाली (बिंदु बी और सी में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामले):

पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों में *(*बिंदु बी और सी में उल्लिखित मामलों के अलावा*),* यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाता है और *48* घंटे से अधिक समय तक पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है*,* तो ऐसे लोक सेवक को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा।

पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों में *(*बिन्दु बी और सी में उल्लिखित मामलों के अलावा*),* यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार नहीं किया गया है*,* या यदि पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा की अवधि *48* घंटे या उससे कम है*,* तो सक्षम प्राधिकारी तथ्यों*,* आरोपों की प्रकृति और गंभीरता*,* लोक सेवक से उचित आचरण के संबंध में राज्य सरकार की अपेक्षाओं*,* पद की गरिमा और अभियोजन/जांच को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना के आलोक में मामले की जांच करेगा और निलंबन के संबंध में उचित निर्णय लेगा।

ऐसे मामलों में*,* निलंबित लोक सेवकों को नियम *13(5)* के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों*,* आरोपों की प्रकृति और गंभीरता*,* अभियोजन/जांच या साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना और मामले की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के बाद किसी भी समय बहाल किया जा सकता है। निलंबन से बहाली के संबंध में विचार हेतु ऐसे मामलों को पुनर्विलोकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सामान्य अनुदेश:

1. पुनर्विलोकन समिति तथ्यों, आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, अभियोजन/जांच को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना, और मामले की वर्तमान स्थिति पर विचार करके प्रत्येक मामले के गुण व अवगुणों का आकलन करेगी और निलंबन वापस लेने या उसे प्रवृत्त रखने के संबंध में अपनी सिफारिश देगी। समिति की सिफारिश के आधार पर बहाली के बाद, संबंधित विभाग लोक सेवक की नियुक्ति कम सार्वजनिक संपर्क और कम महत्व वाले पद पर सुनिश्चित करेगा, अधिमानतः ऐसे स्थान पर जो घटनास्थल से अलग और दूर हो।

2. पुनर्विलोकन समिति द्वारा पुनर्विलोकन के लिए पात्र आपराधिक मामलों में, यदि जांच एजेंसी दो वर्ष की अवधि के बाद भी जांच पूरी करने और सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत करने या अभियोजन प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करने में विफल रहती है, तो निलंबित लोक सेवकों के ऐसे मामलों को भी बहाली पर विचार के लिए पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

3. पुनर्विलोकन समिति की बैठक प्रत्येक चार माह में एक बार अवश्य आयोजित की जाएगी।

4. आपराधिक मामलों में, यदि निलंबित लोक सेवक माननीय न्यायालय के समक्ष निलंबन आदेश के विरुद्ध याचिका/अपील दायर करते हैं, और माननीय न्यायालय सक्षम

प्राधिकारी को मामले की जाँच करके सेवा नियमों के अनुसार तर्कसंगत आदेश जारी करने का निर्देश देता है, तो सक्षम प्राधिकारी मामले का गुणावगुण आधारित मूल्यांकन करेगा। इसमें तथ्यों, आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, अभियोजन/जांच को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना, और मामले की वर्तमान स्थिति का पुनर्विलोकन शामिल होगा, और तदनुसार एक समुचित सकारण/ तर्कसंगत आदेश जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों को पुनर्विलोकन समिति के समक्ष नहीं रखा जाएगा।

5. यदि किसी लोक सेवक को किसी आपराधिक मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसे लोक सेवक को सामान्यतः निलंबन से बहाल कर दिया जाना चाहिए, भले ही राज्य सरकार ने माननीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की हो। ऐसे मामलों में, पुनर्विलोकन समिति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी।

6. आपराधिक मामलों में, यदि सक्षम प्राधिकारी किसी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन से इनकार करने का निर्णय लेता है, तो ऐसे मामलों में निलंबन वापस लिया जाएगा तथा बहाली के आदेश जारी किए जाएंगे।

7. यदि किसी लोक सेवक को *48* घंटे से अधिक समय तक पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है, तो निलंबन आदेश नियम *13(2)* के अंतर्गत जारी किया जाएगा। अन्य

सभी मामलों में निलंबन आदेश नियम *13(1)* के अंतर्गत जारी किया जाएगा।"

(जोर दिया गया)

23. उपरोक्त परिपत्रों के आलोक में, एक नियोक्ता के रूप में राज्य की आपराधिक कार्रवाई में शामिल सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने की शक्तियों का प्रयोग निलंबित सरकारी कर्मचारी के अधिकारों के संदर्भ में जनहित में किया जाना चाहिए; और प्रशासनिक अनुशासन तथा दोषी सिद्ध होने तक निर्दोषता की उपधारणा के सिद्धांत के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। आइए, आगे के भाग में उपरोक्त परिपत्रों, विशेष रूप से अंतिम परिपत्र, अर्थात दिनांक 22.03.2023, जो कमोबेश पिछले परिपत्रों को समाहित करता है और उनका स्थान लेता है, के कानूनी आयामों और अंतर्निहित तर्कों का अध्ययन करके इस पर गहनता से विचार करें।

24. वास्तव में, सबसे पहले, मैं यह कहना चाहूँगा कि परिपत्र दिनांक 22.03.2023 के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि यह 10.08.2001 और 07.07.2010 के पूर्व परिपत्रों का अधिक्रमण करता है। इस प्रकार, 22.02.2023 के परिपत्र जारी होने के बाद, यदि पहले ही आदेश दिया जा चुका है, तो पहले के दो अधिक्रमित परिपत्र निलंबन या निलंबन की निरंतरता का कारण नहीं बन सकते। परिपत्र दिनांक 20.03.2023 के

आलोक में एक नया निर्णय लिया जाना है। इसके प्रावधान, जिन्हें A से D तक वर्गीकृत किया गया है, सामान्य अनुदेशों के साथ, आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे निलंबित सरकारी कर्मचारियों को भरपूर सुरक्षा और निष्पक्षता प्रदान करते हैं लेकिन केवल तभी, जब इसे पूरी ईमानदारी से उसी इरादे से लागू किया जाए जिस इरादे से इसे तैयार किया गया था। आइए देखें कैसे।

24.1. उपरोक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023, अपराधों के वर्गीकरण के माध्यम से संरचनात्मक सुरक्षा उपायों की परिकल्पना करता है। यह परिपत्र आपराधिक मामलों को सुभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है— भ्रष्टाचार (एसीबी), जघन्य अपराध (जैसे हत्या या बलात्कार), आर्थिक अपराध (जैसे गबन), और अन्य सभी सामान्य आपराधिक मामले, ताकि सभी के लिए एक समान निलंबन नियम के बजाय मामला-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि हर आरोप के कारण स्वतः या लंबे समय तक के लिए निलंबन न हो। इसके बजाय, यह तथ्य-आधारित आकलन और पुनर्विलोकन तंत्र की माँग करता है, जो किसी कर्मचारी के विरुद्ध अन्यायपूर्ण या मनमानी कार्यवाही को रोकता है।

24.2. इसके अलावा, एक पुनर्विलोकन समिति का गठन और स्थापना अनिवार्य है। हर चार महीने में इसकी नियमित बैठक का उद्देश्य

निलंबन प्राधिकारी पर नियंत्रण रखना और पुनर्विलोकन समिति के प्रति जवाबदेह बने रहना है। इस प्रकार, यह निलंबन और बहाली प्रक्रिया पर निगरानी रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि निलंबित अधिकारी अनिश्चित काल के लिए अधर में न लटके रहें। इसलिए, पुनर्विलोकन समिति को समय-समय पर मामलों का मूल्यांकन करना चाहिए, जिसमें अपराध की गंभीरता, साक्ष्यों से छेड़छाड़ का जोखिम और मामले की वर्तमान स्थिति जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए ताकि बिना किसी उचित कारण के लंबे और पूर्वाग्रहपूर्ण निलंबन से बचा जा सके।

24.3. यह परिपत्र अन्वेषण या विचारण में देरी होने पर बहाली को भी बढ़ावा देता है। साथ ही, यह आदेश देता है कि यदि कोई लोक सेवक विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उसकी बहाली एक नियम के रूप में की जानी चाहिए, भले ही अपील लंबित हो। इस प्रकार, इसका उद्देश्य उन मामलों में निलंबन के दुरुपयोग को दंडात्मक उपाय के रूप में रोकना है जहाँ अन्वेषण धीमा, राजनीति से प्रेरित या निराधार हो। विशिष्टतया दोषमुक्ति के पश्चात्, निर्दोषिता की उपधारणा को अंतर्निहित करता है।

24.4. परिपत्र गिरफ्तारी-आधारित और आरोप-आधारित निलंबन के बीच स्पष्ट अंतर भी स्पष्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कई

मामलों में केवल एफआईआर दर्ज करना निलंबन के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि लोक सेवक को गिरफ्तार न किया गया हो या 48 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में न रखा गया हो। इसमें निलंबन के निर्णय वस्तुनिष्ठ विचारों, जैसे अपराध की गंभीरता, साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना आदि पर आधारित होने की आवश्यकता है ताकि एफआईआर दर्ज होने पर किसी भी तरह के स्वतः उत्पीड़न की संभावना को रोका जा सके और आजीविका को गंभीर क्षति पहुंचाने के इरादे से की गई मिथ्या या विद्वेषपूर्ण शिकायतों से सुरक्षा मिल सके।

24.5. अजय चौधरी बनाम भारत संघ (2015) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप, यदि आपराधिक कार्यवाही अभी भी लंबित है तो बहाल अधिकारियों को कम संवेदनशील और कम सार्वजनिक संपर्क वाले पदों पर पदस्थापित किया जाना चाहिए और अधिमानतः उसी स्थान पर नहीं, जहां अभिकथित घटना घटी थी, ताकि किसी भी चल रहे विचारण या अन्वेषण की अखंडता के बीच संतुलन बनाए रखने के नाते और अधिकारियों को सम्मान के साथ अपनी सेवा फिर से शुरू करने की अनुमति मिल सके।

24.6. इसके अलावा, परिपत्र में यह भी आदेश दिया गया है कि यदि सक्षम प्राधिकारी अभियोजन की मंजूरी न देने का निर्णय लेता है, तो

निलंबन को वापस लिया जाना चाहिए, ताकि मामले को कमजोर या अभियोजन के अयोग्य पाए जाने पर लंबे समय तक बने रहने वाले कलंक और सेवा लाभों के नुकसान से तत्काल राहत मिल सके।

<u>निष्कर्ष</u>

25. इस प्रकार दो प्रश्न उठते हैं, पहला, क्या किसी सरकारी कर्मचारी को, चाहे वह एफआईआर में अभियुक्त हो या किसी लंबित आपराधिक कार्रवाई में विचाराधीन हो या अभियोजन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिलने पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव हो, विचारण की समाप्ति तक सेवा से निलंबित रखा जा सकता है जब तक कि वह दोषमुक्त न किया जाए? दूसरा, क्या ऐसा निलंबन, जब निलंबित सरकारी कर्मचारी के कारण न होने वाली देरी के कारण लंबा खिंच जाता है, एक संपार्श्विक दंड का गठन करता है, जो केवल राज्य द्वारा इस संदेह को आश्रय देने पर लगाया जाता है कि अभियुक्त सरकारी कर्मचारी को अंततः लंबित आपराधिक कार्रवाई में दोषी ठहराया जाएगा? परिपत्रों, पूर्वोक्त, और न्यायिक उदाहरणों के आलोक में, पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, जबकि यह दूसरे के लिए सकारात्मक है।

25.1. यह प्रतिपादना निर्विवाद है कि गंभीर अपराधों—जैसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, या नैतिक पतन—के आरोपी किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा

में बने रहने देने से जनता का विश्वास कम हो सकता है। निलंबन एक पूर्वोपाय है ताकि कर्मचारी न्याय में बाधा डालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग न कर सके। निलंबन की शक्ति नियोक्ता के आनुशासनिक प्राधिकार में निहित होती है, विशिष्टतया जब कर्मचारी का पद पर बने रहना अन्वेषण या विचारण के लिए प्रतिकूल हो सकता है। लोक प्रशासन की अखंडता बनाए रखने में राज्य का वैध हित है। विचारण का लंबित रहना, आरोपों की गंभीरता के साथ, कर्मचारी को तब तक सक्रिय ड्यूटी से बाहर रखने को उचित ठहराता है जब तक कि संदेह का निवारण न हो जाएँ। इस दृष्टिकोण से देखा जाए, तो राज्य का यह तर्क सही हो सकता है कि ऐसे मामलों में निर्दोषता का एकमात्र निश्चायक प्रमाण दोषमुक्ति है, और जब तक यह सीमा पूरी नहीं हो जाती, निलंबन उचित है। लेकिन, हर मामले में ऐसा नहीं है।

26. हालांकि, दूसरी ओर, लंबे समय तक निलंबन निष्पक्षता, समता और निर्दोषता की उपधारणा के बारे में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है— आपराधिक न्यायशास्त्र की एक आधारशिला जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 11 में निहित है और सामान्य कानून प्रणालियों में परावर्तित होती है। निलंबन, यद्यपि सिद्धांत रूप में सजा नहीं है, परंतु इसके दंडात्तमक परिणाम है: आय की हानि (निर्वाह भत्ते से परे),

करियर में रूकावट और सामाजिक कलंक। जब विचारण वर्षों तक चलते हैं —भारत में अत्यधिक बोझ वाली न्यायिक प्रणाली में एक सामान्य वास्तविकता—निलंबन दोषी पाए बिना लगाया गया एक वास्तविक दंड बन जाता है। नियोक्ता राज्य अक्सर किसी कर्मचारी को इसलिए निलंबित नहीं करता क्योंकि दोष सिद्ध हो चुका होता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे अंततः दोषसिद्धि का संदेह होता है। इस दृष्टिकोण से साबित किए जाने के भार के उलटने का जोखिम होता है: अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध साबित करने के बजाय, कर्मचारी को तब तक निलंबन सहना पड़ता है जब तक कि वे दोषमुक्त होकर अपनी निर्दोषता साबित नहीं कर देते। कानूनी तौर पर, निलंबन एक अंतरिम उपाय है, शास्ति नहीं, यह तय स्थिति है, फिर भी, जब इसे लंबे समय तक जारी रखा जाता है, तो इसका प्रभाव दंड या "छिपी हुई" दंड के समान होता है।

27. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों में यह दुविधा और भी सुव्यक्त होती है, जहाँ विचारण में देरी या अभियोजन की मंज़ूरी मिलने में देरी से निलंबन अनिश्चित काल के लिए बढ़ सकता है। कर्मचारी को निलंबित अवस्था में छोड़ दिया जाता है, न तो उसे दोषसिद्ध किया जाता है और न ही दोषमुक्त किया जाता है, फिर भी वह निलंबन की

पीड़ा झेलता रहता है। ऐसा परिदृश्य 'ऑडी अल्टरम पार्टम' (दूसरे पक्ष की बात सुनें) के सिद्धांत और 'नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ' (किसी को भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए) की उक्ति का उल्लंघन करता है, क्योंकि नियोक्ता राज्य बिना किसी न्यायिक अन्वेक्षा के एकतरफा प्रतिबंध अधिरोपित कर देता है।

28. उपर्युक्त विवेचना एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में यह उचित प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी अथवा पुनरीक्षण समिति द्वारा, जैसा भी मामला हो, निलंबन आदेश पारित करने से पूर्व, मामले दर मामले के आधार पर उसे आगे जारी रखने अथवा वापस लेने के लिए, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का चयन कर ध्यान में रखा जाए :

<u>आपराधिक कार्रवाइयों के कारण सरकारी कर्मचारियों के निलंबन के लिए दिशानिर्देश:</u>

I. सामान्य सिद्धांतों -

आपराधिक कार्रवाइयों के कारण निलंबन वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल आरोपों पर। दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है—निलंबन को दंड नहीं माना जाना चाहिए। निलंबन जनहित में होना चाहिए; केवल एफआईआर ही पर्याप्त आधार नहीं है। इसी प्रकार,

अभियोजन स्वीकृति भी निलंबन का एक यांत्रिक कारण नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए एकमत होना चाहिए।

II. निलंबन के आधार –

यदि भ्रष्टाचार, वित्तीय कदाचार, सुरक्षा को खतरा, या नैतिक पतन के आरोप शामिल हों, तो निलंबन न्यायोचित हो सकता है। सेवा जारी रखने से अन्वेषण या विचारण में बाधा आ सकती है। कर्मचारी गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। यह अपराध संस्था में जनता के विश्वास को कम करता है।

III. निलंबन की समय सीमा

यदि अभियोजन पक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर विचारण न्यायालय में कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है, तो निलंबन तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि विशेष कारण मौजूद न हों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित न किए जाएं और अपचारी अधिकारी को सूचित न किया जाए। यदि निलंबन के 3 महीने के भीतर विचारण न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया जाता है, तो निलंबन की अवधि सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जब तक कि विचारण पूरा होने के करीब न हो और विनिर्दिष्टतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक फ़ाइल पर इसे विशेष

रूप से नोट न किया जाए और ऐसे कारणों को निलंबित अधिकारी को लिखित रूप में सूचित न किया जाए। यदि आपराधिक विचारण में देरी होती है और 3 साल से अधिक समय लगता है, तो सक्षम प्राधिकारी को निलंबन वापस लेते हुए गैर-संवेदनशील पद पर स्थानांतरण जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, निलंबन को आगे जारी रखने का औचित्य साबित करने वाले विशिष्ट कारणों को फिर से लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

IV. आवधिक पुनर्विलोकन

सीसीए नियम, 1958 के नियम 13 (5) के अंतर्गत पुनर्विलोकन समिति और/या सक्षम प्राधिकारी द्वारा हर 4 महीने में निलंबन का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए। पुनर्विलोकन में विचारण की प्रगति, निलंबन की निरंतर आवश्यकता और संभावित विकल्पों का आकलन किया जाना चाहिए। निलंबन जारी रखा जाना लिखित कारणों से न्यायोचित ठहराना चाहिए।

V. अनिश्चितकालीन निलंबन के विकल्प

लंबे समय तक निलंबन के बजाय, सक्षम प्राधिकारी को अजय चौधरी बनाम यूओआईभारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार गैर-संवेदनशील भूमिका मेंपद पर स्थानांतरण परके लिए विचार करना चाहिए।

VI. गंभीर बनाम छोटे अपराधों में विभेद

छोटे अपराध (जैसे, आमतौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय, लेकिन सभी नहीं) निलंबन को न्यायोचित नहीं ठहराते। हालाँकि, गंभीर अपराधों (जैसे, सत्र विचारण या समाज के विरुद्ध अन्य अपराध या भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, उत्पीड़न इत्यादि) के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो सकती है। निलंबन का निर्णय अपराध की प्रकृति और प्रभाव को परावर्तित करना चाहिए।

29. उपर्युक्त उल्लिखित दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, यह न्यायालय कार्मिक विभाग के सचिव के माध्यम से राजस्थान राज्य को परमादेश रिट जारी कर अपने रिट अधिकारिता के प्रयोग को समुचित समझता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करने की शक्ति वाले सभी सक्षम प्राधिकारी लंबित आपराधिक कार्रवाई के कारण पारित निलंबन आदेश के बाद आगे की कार्रवाई करने के लिए

एक उचित समय-सीमा का पालन करें। इस प्रकार यह विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है कि यदि निलंबन आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष चालान/आरोप-पत्र दायर नहीं किया जाता है, तो निलंबित अधिकारी द्वारा संपर्क किए जाने पर निलंबन प्राधिकारी को सीसीए नियमों के नियम 13(5) के अंतर्गत निलंबित कर्मचारी को लिखित कारण बताकर निलंबन जारी रखने या वापस लेने का निर्णय लेना चाहिए। यदि चालान/आरोप-पत्र दायर किए जाने के बाद तीन साल बीत चुके हैं और विचारण लंबित है, तो सक्षम प्राधिकारी को निलंबन जारी रखने की आवश्यकता पर पुनर्विचार करना चाहिए और लिखित में कारण बताना चाहिए। निर्देशानुसार, निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन न करने पर, निलंबित सरकारी कर्मचारी को सीसीए, के नियम 22 के अंतर्गत अपील दायर करके निलंबन वापस लेने का अविच्छेद्य अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिया जाता है कि नियम 22 के अंतर्गत दायर किसी भी अपील का निर्णय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए; यदि ऐसा नहीं होता है, तो विलंब के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और निलंबित सरकारी कर्मचारी को सूचित किया जाना चाहिए।

30. यह भी निर्देश दिया जाता है कि राजस्थान सरकार, अर्थात् सचिव कार्मिक के माध्यम से, राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए समुचित कदम उठाएगी और उन्हें अनुपालन हेतु उपरोक्त परमादेश और दिशानिर्देश भी प्रेषित करेगी। इस न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह वर्तमान आदेश/निर्णय की एक प्रति राज्य के मुख्य सचिव और सचिव कार्मिक को ई-मेल करे।

31. **अनुतोष**

31.1. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 14863/2016:- याचिकाकर्ता पिछले 8 वर्ष 8 माह से निलंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे 27.07.2016 को बिना सोचे-समझे, विलम्ब से, यंत्रवत्, केवल 22.05.2014 को अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के आधार पर निलंबित कर दिया गया, वह भी अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने के 2 वर्ष से अधिक समय बाद। यह अपने आप में निलंबन आदेश को रद्द करने का पर्याप्त आधार है। इसके अलावा, पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में अभिलिखित चर्चा और विश्लेषण के परिणामस्वरूप, दिनांक 17.11.2016 का आक्षेपित अपीलीय आदेश, जो दिनांक 07.07.2010 के परिपत्र (चूंकि अधिष्ठित हो चुका है) और उसके अनुसरण में पारित किया गया था, और उसके अनुसार उसका

निरंतर निलंबन अन्यथा भी कायम रहने योग्य नहीं है। तदनुसार, दिनांक 27.07.2016 के निलंबन आदेश और उसके बाद दिनांक 17.11.2016 के अस्वीकृति आदेश प्रतिवादीगण को यह निर्देश देते हुए रद्द कर दिए गए हैं कि उसे 30 दिनों के भीतर इस आदेश की वेब प्रति के साथ प्रतिवादीगण से सम्पर्क करने पर, उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में कहीं भी पदस्थापन दिया जाए।

31.2. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 13959/2018 में; अपराध की गंभीरता (रंगे हाथों पकड़ा गया) और एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 16325/2021 में; अपराध की गंभीरता के साथ कई एफआईआर (वर्तमान में तीन, क्योंकि चौथे में वह बरी हो गया है) को देखते हुए, प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने-अपने विचारण के प्रक्रम को अभिनिश्चित करें और फिर सीसीए नियमों के नियम 13(5) के अंतर्गत निलंबन को वापस लेने की संभावना पर विचार करें और उन्हें राज्य में कहीं भी पदस्थापित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे किसी भी तरह से चल रहे मुकदमों को प्रभावित नहीं करते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस आदेश के वेब प्रिंट के साथ प्रतिवादीगण से संपर्क करने के छह सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्य किया जाना चाहिए। आनुकल्पिक रूप से, उन्हें लिखित में विशिष्ट कारणों से अवगत कराया

जाए, जिसमें पुनर्विलोकन समिति की राय भी शामिल है, उनके निलंबन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उक्त कारणों को चुनौती देने के लिए कानून के अनुसार किसी भी तरीके से उपचार चाहने की स्वतंत्रता के साथ, जिसमें सीसीए नियमों के नियम 22 के अंतर्गत अपील दायर करना भी शामिल है।

32. उपरोक्त टिप्पणियों और दिशानिर्देशों के साथ निपटारा किया जाता है। यदि कोई आवेदन है, तो उनका भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

सुमित शर्मा/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है:- हाँ / नहीं

अस्वीकरण**:** इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है**,** एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी